''विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, विनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगद/दुर्ग/09/2012-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 जून 2015-- ज्येष्ट 18, शक 1937

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2015

अधिसूचना

क्रमांक एक 1-2/2015/18. — छल्सिसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 में प्रदत्त जिल्तयों को प्रयोग में ताते हुए राज्य ज्ञासन एतद्द्वारा पूर्व अधिसूचित नगरपालिका परिषद् भिलाई-चरौदा के स्थान पर नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा का गठन निम्न अनुसूची के अनुसार करता हैं:-

अनुसूची-1

नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा का विवरण निम्नानुसार है :-

第.	नगर पालिक निगम का नाम	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	मिलाई-चरौदा	दुर्ग

अनुसूची-2

नगर पालिक निगम, भिलाई- चरीदा की सीमाएं निम्नानुसार होंगी :-

नगरपालिका परिषद्, मिलाई-चरौदा की सीमाएं ही नगर पालिक निगम, मिलाई-चरौदा की सीमाएं होंगी.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जितेन्द्र शुक्ता, संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक ४ जून 2015

क्रमांक एफ 1-2/2015/18. — भारत के संविधान के अनुस्केद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2/2015/18, विनांक 08-06-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्धारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगद के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जिलेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सन्त्रिय.

Raipur, the 8th June 2015

NOTIFICATION

No. F 1-2/2015/18.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, hereby constitute Municipal Corporation Bhilai-Charoda, in the place of Municipal Council, Bhilai-Charoda as given in the following Schedule:-

SCHEDULE-1

S. No.	Name of Municipal Corporation	District
(1)	(5)	- (3)
1	Bhilai-Charoda	Durg

SCHEDULE-2

The boundries of the Municipal Corporation, Bhilai-Charoda is as below :-

The Boundries of existing Municipal Council, Bhilai-Charoda shall be the boundries of Municipal Corporation, Bhilai-Charoda.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, JIŤENDRA SHUKLA, Joint Secretary,